बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—::संकल्प::—

श्री जितेन्द्र प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा–2 सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को नालन्दा जिलान्तर्गत मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत कराय परसुराय के छितरबिगहा के पूरब कटाव में खरभईया के दक्षिण पुल निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 के सुसंगत प्रावधान के तहत अधिसूचना ज्ञापांक 755 दिनांक 05.04.2022 द्वारा पेंशन से अगले 2 वर्षो तक 5 प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित की गयी।

2. श्री प्रसाद द्वारा उक्त दंडादेश के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-4840/2023 जितेन्द्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2023 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:—

"2. *Learned counsel for the petitioner Submits that the petitioner would be availing remedy, of review by way of memorial in terms of Rule 24 (2) of the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005.*

3. With liberty as prayed for, writ application is dismissed as withdrawn.

4. If the application is filed within two weeks, it is needless to say, the authorities will consider the petitioner's review by way of memorial without undue delay and expeditiously."

3. माननीय न्यायालय द्वारा CWJC No.-4840/2023 जितेन्द्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 के आलोक में श्री जितेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता द्वारा उक्त दंडादेश पर पुनर्विचार हेतु विभाग में पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 10.10.2023 दायर की गयी है।

4. उल्लेखनीय है कि श्री जितेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध प्रश्नगत पुल की अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता द्वारा दिनांक 21.04.2011 को किये गये जॉच के आधार पर गठित आरोप पत्र प्रपत्र–'क' में निम्न आरोप गठित किये गये:—

(i) Abutment का slope (slaint) सही नहीं है। Abutment में निर्माण किये गये weep holes विशिष्टि के अनुरूप नहीं है तथा सारे weep holes बन्द है, जिससे इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है।

(ii) Deck slab के celing एवं parapet के बाहरी तरफ प्लास्टर कार्य नहीं है, जिसके कारण कई स्थानों पर Deck slab के celling का reinforcement दिखाई दे रहा है, जिसमें जंग लग गया है। Deck slab के उपर wearing coat का कार्य नहीं किया गया है।

(iii) Approach में दोनों तरफ मिट्टी की भराई एवं संपीड़न उचित तरीके से नहीं किया गया है। फलस्वरूप सेतु के दोनों तरफ का approach slab क्षतिग्रस्त एवं धंस गया है। टूटे हुए स्थान पर Brick soling के उपर approach slab की मोटाई अधिकतम 50mm पायी गयी।

5. श्री प्रसाद के विरूद्ध उक्त आरोपों पर अधिसूचना सं0–2684 दिनांक 28.08.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री प्रसाद के सेवानिवृति के फलस्वरूप उक्त विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश सं0– 811 दिनांक 06.07.2021 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

6. मुख्य अभियंता–3–सह–संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7802 अनु0 दिनांक 31.10.2018 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में पुल निर्माण कार्य में श्री प्रसाद के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संदर्भ में मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभाग को दिये गये स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 30.07.2013, जिसमें Abutment का slope सही होने एवं weep holes का प्रावधान होने तथा Deck slab, approach एवं wearing coat के कार्य के लिए श्री प्रसाद को उत्तरदायी नहीं मानने का उल्लेख है, के आधार पर श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित पाया गया।

7. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त आरोप सं0–1 के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमति व्यक्त की गयी तथा आरोप सं0–2 एवं 3 के संदर्भ में दिये गये मंतव्य से निम्न बिन्दुओं पर असहमति व्यक्त करते हुए श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक 272 अनु0 दिनांक 06.02.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) के तहत द्वितीय कारण पृच्छा की गयी:–

(i) त्रुटिपूर्ण कार्यो/असम्पादित कार्यो का द्वितीय चालू विपत्र में की गयी मापी श्री प्रसाद द्वारा दिनांक 16.04.2010 को हस्ताक्षरित है। जॉचित तिथि दिनांक 21.04.2011 तक संवेदक द्वारा सुधार कार्य नहीं किया गया है। इसके बावजूद श्री प्रसाद द्वारा संवेदक के विरूद्ध कोई कार्रवाई हेतु प्रस्ताव नहीं दिया गया और न ही संवेदक को कोई पत्राचार किया गया है।

(ii) जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि Approch में PCC को प्रावधानित मोटाई 150 मि0मी0 की जगह 50 मि0मी0 पाया गया एवं पुल के दोनों तरफ Approch Slab क्षतिग्रस्त/धंसा हुआ पाया गया। उक्त त्रुटिपूर्ण कार्यो की मापी कनीय अभियंता द्वारा मापीपुस्त में किया गया। श्री प्रसाद के संज्ञान में रहने के बावजूद कनीय अभियंता के विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता को समर्पित नहीं किया गया।

8. श्री प्रसाद के पत्रांक 1005 दिनांक 14.06.2019 द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा के दरम्यान पुनः श्री प्रसाद के पत्रांक 07 दिनांक 14.01.2020 द्वारा यह

सूचित करते हुए कि पूर्व में समर्पित द्वितीय बचाव बयान के साथ तीन साक्ष्य संलग्न नहीं था, को संलग्न करते हुए इस पर विचार करने का अनुरोध किया गया। श्री प्रसाद द्वारा अपने द्वितीय बचाव बयान में संवेदक एवं कनीय अभियंता के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने का उल्लेख किया गया, जिसके समर्थन में साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा संवेदक एवं कनीय अभियंता को दिया गया निम्न पत्र समर्पित किया गया:–

(i) पत्रांक 25 दिनांक 02.05.2010 जो संवेदक को निर्गत है और प्रतिलिपि कनीय अभियंता को दी गयी है।

(ii) पत्रांक 19 दिनांक 17.02.2011 जो संवेदक को निर्गत है और प्रतिलिपि कार्यपालक अभियंता को दी गयी है।

(iii) पत्रांक 42 दिनांक 27.06.2010 जो कनीय अभियंता को निर्गत है और प्रतिलिपि कार्यपालक अभियंता को दी गयी है।

9. श्री प्रसाद के द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री प्रसाद द्वारा इसके पूर्व कहीं भी इन साक्ष्यों का जिक्र नहीं किया गया है, जो संदेह उत्पन्न करता है। स्थल जॉच प्रतिवेदन में जॉच पदाधिकारी द्वारा अंकित है कि जॉच की तिथि 21.04.2011 को जॉच के समय उपस्थित अभियंताओं द्वारा बताया गया कि संवेदक को सारी त्रुटियों को सुधार करने हेतु मौखिक निदेश दिया गया है, परन्तु संवेदक द्वारा कोई रूचि नहीं लिया जा रहा है।

10. उक्त के आलोक में श्री प्रसाद के द्वितीय बचाव बयान पर अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिये गये मंतव्य में द्वितीय बचाव बयान को स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के आलोक में समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद को दंड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति के पश्चात् उक्त दंड संसूचित की गयी।

11. श्री प्रसाद के पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 10.10.2023 में मुख्य रूप से निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है:–

(i) वे सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हिलसा–2, ग्रामीण कार्य विभाग के रूप में दिनांक 30 जून 2011 के पूर्व पदस्थापित थे। उक्त पदस्थापन काल के दौरान, अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता के द्वारा दिनांक 21.04.2011 को प्रश्नगत पुल निर्माण का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 25.04.2011 से स्पष्ट हो सकेगा कि उक्त अनियमितता के लिए उन्हें दोषी नहीं माना गया है तथा Approach Slab के कार्य के विरूद्ध भुगतान नहीं किया है जिसमें वित्तीय क्षति भी नहीं है, हालांकि उक्त कार्य के लिए कनीय अभियंता को दोषी माना गया है। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक 2633 दिनांक 15.07.2013 के आलोक में मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा उक्त प्रासंगिक कार्य स्थल की निरीक्षण दिनांक 25.07.2013 को की गई थी, जिसमें उक्त कार्य में कोई त्रुटि नहीं पाया गया था, जो मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 30.07.2013 से स्पष्ट हो सकेगा। मुख्य

अभियंता–1 के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 30.07.2013 के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं0–60 दिनांक 10.09.2011 द्वारा श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव तदेन कार्यपालक अभियंता को आरोप से मुक्त कर दिया गया है।

(ii) संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 31.10.2018 में आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया, जिससे असहमत होते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की मांग विभागीय पत्रांक 272 दिनांक 06.02.2019 की गई थी, जबकि उक्त असहमति के बिन्दु बिना साक्ष्य एवं बिना कारण के थे, जिसके विरूद्ध उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब दिनांक 14.06.2019 को विभाग में समर्पित किया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के असहमति बिन्दु जो बिना साक्ष्य एवं कारण का है। इस प्रकार, द्वितीय कारण पृच्छा दिनांक 06.02.2019, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब नेशनल बैंक बनाम कुंज बिहारी मिश्रा (Reported in 1998 (s) SCC 1283) में प्रतिपादित सिद्धांत के प्रतिकूल है।

(iii) बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(b) में यह स्पष्ट है कि सरकार को वित्तीय क्षति नहीं होने पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(b) के अधीन पेंशन की किसी भाग की वसूली नहीं की जा सकती है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा ललन प्रसाद शर्मा बनाम बिहार सरकार (Reported in 2017 (3) PLJR, Page-33) में स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई वित्तीय क्षति नहीं होने पर पेंशन के भाग की वसूली नहीं की जा सकती है।

12. श्री जितेन्द्र प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हिलसा–2 सम्प्रति सेवानिवृत के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 10.10.2023 पर निर्णय लेने से पूर्व कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, राजगीर को श्री प्रसाद द्वारा संवेदक एवं कनीय अभियंता के विरूद्ध की गयी कार्रवाई से संबंधित उक्त कंडिका–8 में उल्लेखित पत्र की संपुष्टि करने का निदेश दिया गया।

13. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, राजगीर के पत्रांक 284 अनु0 दिनांक 30.03.2024 से प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि श्री जितेन्द्र प्रसाद द्वारा समर्पित पुर्नविलोकन अर्जी दिनांक 10.10.2023 में वर्णित पत्रांक 19 दिनांक 17.02.2011 कार्यालय में उपलब्ध डायरी रजिस्टर में मिलान करने पर पाया गया कि डायरी रजिस्टर में अंकित क्रमांक 183 पर श्री प्रसाद द्वारा समर्पित पत्रांक 19 दिनांक 23.02.2011 में माह फरवरी 2011 की अनुपस्थिति विवरणी का प्रेषण के संबंध में है, जो श्री प्रसाद द्वारा समर्पित पुर्नविलोकन अर्जी में पत्रांक 19 में दिये गये दिनांक एवं विषय भिन्न है।

14. इस प्रकार यह स्पष्ट है श्री प्रसाद द्वारा द्वितीय बचाव बयान के साथ पत्र के रूप में समर्पित साक्ष्य को तोड़–मरोड़ कर पेश किया गया तथा विभाग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में वर्णित तथ्य यथा श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव, तदेन कार्यपालक अभियंता को आरोप मुक्त कर दिये जाने संबंधी तथ्य के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री श्रीवास्तव को आरोप से मुक्त करने संबंधी

निर्गत कार्यालय आदेश संख्या–60 दिनांक 10.09.2013 की पुर्नसमीक्षा की गयी तथा कार्यालय आदेश सं0–315 दिनांक 29.05.2017 द्वारा इसे निरस्त किया गया है। श्री श्रीवास्तव के सेवानिवृति के आलोक में विभागीय कार्यवाही का मामला कालबाधित पाये जाने के कारण इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गयी बल्कि वित्तीय क्षति की वसूली का निर्णय लिया गया। श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत संचालित की गयी एवं कालान्तर में श्री प्रसाद के सेवानिवृति के फलस्वरूप उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमवली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित करते हुए नियमानुसार दंड अधिरोपित की गयी है।

15. उक्त के आलोक में समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रसाद द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 10.10.2023 को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

16. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री जितेन्द्र प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हिलसा–2 सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 10.10.2023 को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

10/07/24

(डा0 फैतेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–332/2010 2070 /पटना, दिनांकः– 10-7-24

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/07/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–332/2010 2070 /पटना, दिनांकः– 10-7-24

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

10/07/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः— 3/अ०प्र०—1—332/2010 2070 /पटना/दिनांकः— 10-7-24

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा—2/प्रशाखा पदाधिकारी—5/6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री जितेन्द्र प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हिलसा—2 सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/पत्राचार का पता—ज्योतिपूरम अपार्टमेंट, डी0/222, जगदेव पथ चौराहा, रूकनपुरा, बेली रोड, पाया नं0—10, जिला—पटना, पिनकोड—800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/07/24

संयुक्त सचिव